झारखण्ड सरकार
कृषि पशुपालन, एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

कार्यालय– जिला कृषि पदाधिकारी, पाकुड़

पता– जिला संयुक्त कृषि भवन, प्रखण्ड परिसर, पाकुड़

पिन कोड – 816107 , झारखण्ड

(निविदा सूचना)

पत्रांक – अनु0 सह जि0 कृ0/पाकुड़/736, दिनांक–01.12.2020
निविदा सूचना संख्या – 01/2020–21

वित्तीय वर्ष 2020–21 में सचिव, कृषि पशुपालन, एवं सहकारिता विभाग झारखण्ड, राँची के राज्यादेश संख्या – 09 दिनांक 30.08.2020 के अनुपालन में राज्य योजनान्तर्गत कृषि प्रयोगशाला स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न लिखित रयायनों एवं उपस्करों की आपूर्ति हेतु मोहरबंद सील लिफाफे में निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। इस हेतु आवेदन पत्र दिनांक 15 दिसम्बर 2020 तक अपराह्न 5:00 बजे तक कार्यालय में जमा किये जा सकते है। सामान के बारे में पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :–

Sl. No.	Particulars	Description	No
1	Nagarjuna Mridaparikshak Reagent Kit	15 Parameter	17 Nos
2	Volumetric Flask (Borosil)	5640009 (25ml)	27 Nos
3	Volumetric Flask (Borosil)	5640012 (50 ml)	27 Nos
4	Volumetric Flask (Borosil)	5640016 (100 ml)	27 Nos
5	Volumetric Flask (Borosil)	5640021 (250 ml)	27 Nos
6	Volumetric Flask (Borosil)	5640024 (500 ml)	12Nos
7	Volumetric Flask (Borosil)	5640029 (1000 ml)	12Nos
8	Pipette (Borosil)	7059P41 (0.1 ml)	7 Nos
9	Pipette (Borosil)	7059P42 (0.2 ml)	7 Nos
10	Pipette (Borosil)	7059P01 (1.0 ml)	7 Nos
11	Pipette (Borosil)	7059P02 (2.0 ml)	7 Nos
12	Pipette (Borosil)	7059P05 (5.0 ml)	7 Nos
13	Pipette (Borosil)	7059P06 (10.0 ml)	7 Nos
14	Pipette (Borosil)	7059P09 (25.0 ml)	7 Nos
15	Pipette (Borosil)	1000 ml	12 Nos
16	Pipette (Borosil)	500 ml	12 Nos
17	Pipette (Borosil)	250 ml	12 Nos
18	Pipette (Borosil)	100 ml	12 Nos
19	Pipette (Borosil)	50 ml	27 Nos
20	Wash Bottle (Borosil)	1000 ml	12 Nos
21	Apron		7 Nos
22	Conical Flask (Borosil)	1000 ml	27 Nos
23	Funnel (Borosil)	75 ml	19 Nos

<u>निविदा समर्पित करने की शर्ते</u>

- GST निबंधन प्रमाण पत्र एवं GST जमा करने से संबंधित अद्यतन जमा रसीद निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- सशर्त्त निविदाएँ मान्य नहीं होगी।
- विलंब से प्राप्त निविदाएँ मान्य नहीं होगी।

- निविदाता के द्वारा पैन कार्ड के साथ विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- निर्माणकर्त्ता/प्रतिष्ठानों / प्राधिकृत एजेन्सी झारखण्ड राज्य के अधिकृत आपूर्तिकर्त्ता का नाम देगें। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान निविदादाता कम्पनी का प्रधिकार पत्र निविदा के साथ संलग्न करेगें।
- निविदादाता निविदा के साथ रसायनों के लिये Lab Testing Report एवं उपस्करों के लिए उत्पादक ISO प्रमाण पत्र (Customer Satisfaction Certificate) तथा Non Conviction प्रमाण पत्र Issued by the Concerned Licensing Authority संलग्न करेंगें।
- निर्माता कंपनी/प्राधिकृत विक्रेता एवं एजेन्सी को इस आशय का लेख्यप्रमाणक के माध्याम से शपथ पत्र देना होगा कि उसकी कम्पनी/संस्थान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अनुशांगिक इकाई द्वारा काली सूची में नहीं है। जॉचो उपरांत गलत पाये जाने पर निविदादाता वैधानिक कार्रवाई के भागी होगें।
- निविदा से संबंधित अग्रधन की राशि मो0 10000 (दस हजार) रुपये का मूल बैंक ड्राफ्ट अनुमंडल सह जिला कृषि पदाधिकारी, पाकुड़ के नाम से संलग्न करना होगा। निविदा प्रक्रिया उपरांत चयनित फर्म को छोड़कर अन्य सभी फर्म की अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी।
- निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा में दिये गये रसायन एवं उपस्कर का नमूना/कैटलॉग के साथ निविदा खुलने की तिथि को उपस्थित रहना होगा।
- रसायन एवं उपस्करों की आपूर्त्ति मूल्य सभी करों सहित प्रति इकाई (01 Unit) सूची क्रमांक के अनुरुप उनके नाम के सामने वाले स्तंभ में कम्प्यूटरीकृत रुप से अंकित करेगें। निविदा में दिये गये मूल्य किसी भी परिस्थिति में बाजार मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। भविष्य में जॉचोपरांत मूल्य में भिन्नता पाये जाने पर निविदादाता स्वंय व्यक्तिगत रुप से जिम्मेवार होगें आर वे सभी प्रकार के वैधानिक कार्रवाई के भागी होगें।
- निविदा का तकनीकी एवं मूल्य भाग अलग अलग मुहरबंद लिफाफे में समर्पित करना होगा। तकनीकी भाग में निविदत्त रसायन एवं उपस्कर को नाम (क्रमांक के अनुसार) पैंकिग/फीचर एवं साईज के साथ अंकित करना होगा, साथ ही निविदादाता जिन रसायन एवं उपस्कारों को मूल्य भाग में शामिल रखेंगे उन्हें तकनीकी भाग में मूल्य रहित (Without Price) करते हुए सूचिवद्ध करेंगे ताकि उन्के द्वारा निविदत रसायन एवं उपस्कर की जानकारी हो सके। सफल निविदादाताओं का मूल्य भाग पर विचार किया जायेगा।

अन्य शर्ते

- बिना कारण बताये निविदा आंशिक या पूर्ण रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं विशेष परिस्थिति में निविदा के शर्तो में संसोधन एवं शिथिल करने हेतु जिला क्रय समिति (कृषि विभाग) पाकुड़ को सुरक्षित/अधिकृत होगा।
- इस निविदा के आधार पर निधारित दर वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मान्य होगा। विशेष परिस्थिति यथा ससमय आपूर्ति नहीं करनें एवं गुणवत्ता निम्न पाये जाने की स्थिति में निविदा रद्द कर दी जायेगी।
- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र पाकुड़ होगा।

ह0/–
जिला कृषि पदाधिकारी,
पाकुड़।